संख्या- 14/ 2019 /ए-1-56 ए0जी0/दस-2019-10(20)/ 2001,

प्रेषक,

संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (लेखा) अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 13 नवम्बर, 2019

विषय - ए0सी0 बिल के विरूद्ध ही डी0सी0 बिल (विस्तृत बिल) सभी वांछित संलग्नकों के साथ महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, द्वारा अवगत कराया गया है कि विभागाध्यक्षों द्वारा बजट में आवंटित धनराशि के विरूद्ध अग्रिम धनराशियों के रूप में आहरित कर उनके सापेक्ष जो डी0सी0 बिल्स महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित किये जा रहे है, उनमें से कतिपय ऐसे अग्रिम, आहरण ए0सी0 बिल्स (Abstract Contingent bills) मानक के अनुरूप नही है। ए0सी0 बिल्स (Abstract Contingent bills) के आहरण के मानक के बारे में वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग 1 के प्रस्तर 162 में तथा राज्य सरकार के ट्रेजरी मैनुअल के पैरा 62 (1) (C) में स्पष्ट उल्लेख है, जिसका अनुपालन विभागाध्यक्षों द्वारा नहीं किया जा रहा है।

2- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने अधीनस्थ विभागाध्यक्षों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि नियमानुसार ही ए0सी0 बिल्स (Abstract Contingent bills) आहरित किये जाय एवं बिल पर लाल स्याही से ए0सी0 बिल का अंकन किया जाय तथा ऐसे ए0सी0 बिल के विरूद्ध ही डी0सी0 बिल (विस्तृत बिल्स), सभी वांछित संलग्नकों के साथ महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
संजीव मित्तल
अपर मुख्य सचिव ।

-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या- 14/2019 /ए-1-56 ए0जी0 (1)/दस-2019-10(20)/2001, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।

2- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को उनके अर्द्धशासकीय पत्रांक: /Tm-II/71668 दिनांक 31-10-2019 के सन्दर्भ में प्रेषित।

4- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, 1018-जवाहर भवन, लखनऊ।

आज्ञा से
पंकज सक्सेना
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।